भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5122

बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना</u>

5122. श्री जयन्त बसुमतारी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान किए गए विद्यालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में सौर ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए किन्हीं वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आवासीय प्रतिष्ठानों के लिए सौर पैनल राजसहायता को विस्तारित कर उसमें विद्यालयों को शामिल करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 3422 स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्यवार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों हेतु) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से स्कूलों सहित 2000 सार्वजनिक संस्थानों के सौरीकरण का प्रावधान है, जहां ग्रिड के माध्यम से वि द्युत आपूर्ती तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। योजना का ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-**I**

'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना' के संबंध में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5122 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा

**(i)** पीएम-कुसुमः

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों (घटक-क) को बढ़ावा देने, स्टैंड-अलोन सौर-संचालित कृषि पंपों (घटक-ख) की स्थापना करने और फीडर-स्तरीय सौरीकरण (घटक-ग) सहित मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैः

(i) घटक-क के अंतर्गतः किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए डिस्कॉम को पांच वर्षों के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाएगा। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियां, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। डिस्कॉम को प्लांट के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉम को देय कुल पीबीआई 33 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक है।

(ii) घटक-ख और घटक-ग दोनों के अंतर्गत पूर्वोत्तर/पहाड़ी/द्वीपीय क्षेत्रों में 7.5 एचपी क्षमता तक के कृषि पंप स्थापित/सौरीकरण करने वाले सभी व्यक्तिगत किसानों को बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50%, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, 15 एचपी तक की पंप क्षमता के लिए सीएफए उपलब्ध है, तथापि, यह राज्य में कुल स्थापनाओं के 10% तक सीमित होगा।

(iii) घटक-ग के अंतर्गत फीडर स्तर सौरीकरण के तहत, सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत 3.5 करोड़ रुपये/मेगावाट मानते हुए सीएफए की गणना की जाती है। अतः, पूर्वोत्तर राज्यों को 1.75 करोड़ रुपये/मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जाता है (सामान्य राज्यों में सीएफए 1.05 करोड़ रुपये/मेगावाट है)।

**(ii)** पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजनाः

योजना के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट और 2 किलोवाट प्रणाली के रूफटॉप सौर के लिए परियोजना की बेंचमार्क लागत का 60% सीएफए और 3 किलोवाट प्रणाली के लिए परियोजना बेंचमार्क लागत का अतिरिक्त 40% सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की सीमा 3 किलोवाट होगी।

सीएफए राशि का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | आवासीय खंड का प्रकार | पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्यों में सीएफए |
|---|---|---|
| 1. | आवासीय क्षेत्र (प्रथम 2 किलोवॉट पीक) | 33,000 रुपये/केडब्ल्यूपी |
| 2. | आवासीय क्षेत्र (अतिरिक्त 1 किलोवॉट पीक) | 19,800 रुपये/केडब्ल्यूपी |
| 3. | आवासीय क्षेत्र (3 किलोवॉट पीक से अधिक) | कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं |
| 4. | जीएचएस/आरडब्ल्यूए आदि, सामान्य सुविधाओं के लिए 500 किलोवॉट तक<br>(प्रति घर 3 किलोवॉट की दर से) | 19,800 रुपये/केडब्ल्यूपी |

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन, आदर्श सौर गांव का विकास, उन्नत परियोजनाएं, भुगतान सुरक्षा तंत्र, क्षमता निर्माण, जागरूकता और आउटरीच आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध है।

(iii) सौर पार्क:

सौर पार्क योजना के तहत डीपीआर तैयार करने (प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक) और अवसंरचना विकास (प्रति मेगावाट 20 लाख रुपये या परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो) के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

**(iv)** प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए):

इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जनमन के तहत स्वीकृत पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार, इस योजना में डीए जेजीयूए के तहत अनुमोदित ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण करने का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ केवल वहीं प्रदान की जाएँगी जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। पीएम जनमन और पीएम जेजीयू के तहत योजना के लिए स्वीकृत वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | घटक | केंद्रीय हिस्सा (100%) | स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में) | समय सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान | 50,000 रु. प्रति घर या वास्तविक लागत के अनुसार | 500 | वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 |
| 2 | सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 बहु-उद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान | प्रति एमपीसी 1 लाख रुपये | 15 | |
| 3 | ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण | 1 लाख रुपये प्रति किलोवाट | 400 | वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 |

अनुलग्नक-**II**

'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना' के संबंध में श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5122 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने वाले स्कूलों का ब्यौरा

| क्रमांक | राज्य | स्कूलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 3 |
| 2 | असम | 2319 |
| 3 | मणिपुर | 51 |
| 4 | मिजोरम | 25 |
| 5 | मेघालय | 633 |
| 6 | नगालैंड | 355 |
| 7 | सिक्किम | 36 |
| कुल | | 3422 |

*****